FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम –26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर

तहसीलदार जहाजपुर जिला शाहपुरा

बनाम

रामगोपाल पुत्र रामनाथ मीणा निवासी लुहारीखुर्द

किस्म मुकदमा 177 RTA

मुकदमा नं. **01 / 2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
29.07.2024	प्रार्थना–पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर वास्ते जवाब हेतु दिनांक 07.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	
07.8.24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अनु०। प्रतिवादी को भेजा गया नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जिसे शा०प० किया गया। पत्रावली वास्ते बइन्तजार प्रतिवादी की आमदगी के आइन्दा दिनांक 12.8.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	
12.8.24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अनु०। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पैरोकार सरकार उप०। पैरोकार सरकार ने बहस करनी चाही। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जहाजपुर

D.N. 1766
01/07/24

भूमिधारी (तहसीलदार) तहसीलदार जहाजपुर

(वादी)

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार रहन पूर्ण खाता स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली

(प्रतिवादी)

वद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बबत् शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखी करने हेतु

2.7.24.

364
2.7.24

महोदय,

बिन्दुवार निवेदन निम्नानुसार है–

1. निवेदन है कि ग्राम लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द में निम्न प्रकार की भूमि कृषि कार्य हेतु प्रतिवादीगण की खातेदारी मे कृषि भूमि के रुप में अंकित है–

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि वर्ग	लगान
1. रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार रहन पूर्ण खाता स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली	76/6	0.4320 मे से 0.0216 हैक्टयर भूमि पर	गेमु.मगरी	0.74

2. यह है कि भू0अ0निरीक्षक लुहारीकलां एवं पटवारी हल्का लुहारीखुर्द से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर–76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर मे से 0.0216 हैक्टयर भूमि को गैर कृषि प्रयोजन (बजरी स्टॉक) काम मे लिया जा रहा है अर्थात कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर शर्त भंग की गई है। एवं भूमि क्षैत्र को हानि पहुचाई गई है। इस कृत्य के लिए प्रतिवादी को भूमि क्षैत्र से बदेखल करने व सिवायचक घोषित करने की आज्ञा पारित की जावे।
3. यह है कि ग्राम लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द माननीय न्यायायलय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत आने से वाद पेश है।
4. यह है कि अधिनियम की धारा 177 की उप धारा 4 के तहत न्यायालय शुल्क में छूट की गई है।

Scanned with CamScanner

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को शर्त भंग करने के कारण मद संख्या 1 में त खातेदारी भूमि से बेदखल व सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)

भूमिधारी
(तहसीलदार जहाजपुर)

<u>तस्दीक</u>

मै रवि कुमार मीणा हाल तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य व सही हैं।

दिनांक–...../06/2024

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)

भूमिधारी
(तहसीलदार जहाजपुर)

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा ग्राम कुलही खुर्द

आराजी नं. 76/6

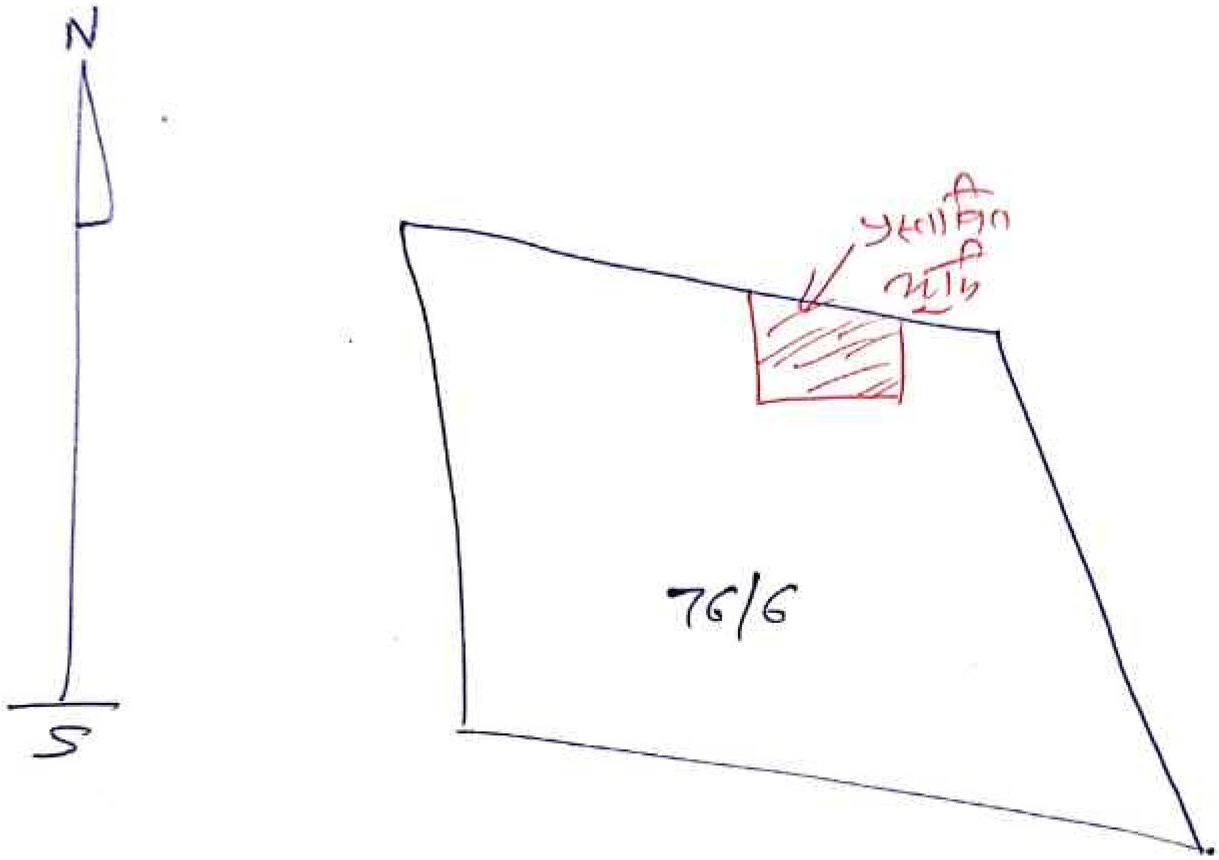

14.05.2024

प.र. कुलही खुर्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जहाजपुर

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जहाजपुर

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार रहन पूर्ण खाता स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

महोदय,

प्रार्थी की और से प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह है कि उनवानी वाद–पत्र प्रार्थी/वादी ने आज विधिवत न्यायालय श्रीमान के यहा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमे सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है।
2. यह है कि भूमि हाल खसरा नम्बर–76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर किस्म गे0मु0 मगरी ग्राम–लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द में स्थित है। उक्त आराजी का प्रार्थी भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) अप्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है।
3. यह है कि आप्रार्थी ने जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना–पत्र को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तन कर अवैध रुप से बजरी का स्टॉक खसरा नम्बर–76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर मे से 0.0216 हैक्टयर भूमि पर कर ,खुर्द–बुर्द कर रहा है। जिसका अप्रार्थी/अनावेदक को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो व टीनेंसी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है।
4. यह है कि अप्रार्थी द्वारा टीनेंसी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना–पत्र से बेदखल किया जाना व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।
5. यह है कि दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत दिनांक–20.05.2024 को पैदा हुआ। जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना–पत्र के अवैध रुप से बजरी का स्टॉक करने की सूचना जरिये रिर्पोट दी। अगर अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जायेगा जो प्रार्थी (राजस्थान सरकार) को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना असंभव है।
6. यह है कि प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है।
7. यह है कि प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन भली–भांति साबित है।
8. यह है कि प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि तदौरान द्वारा अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह पटवार हल्का लुहारीखुर्द के ग्राम–लुहारीखुर्द की खसरा

Scanned with CamScanner

नम्बर–76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर किस्म गेमु. मगरी मे से 0.0216 हैक्टयर को बिना विधिक प्रकिया अपनाये किसी प्रकार से अकृषि (बजरी स्टॉक) के रुप में उपयोग ना लेवे, ना ही मौके पर पड़ी बजरी को खुर्द–बुर्द करे ना ही रहन बय करे, मौके पर यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक–....../06/2024

प्रार्थी/आवेदक

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर
तहसीलदार तहसील कार्यालय जहाजपुर
जिला–शाहपुरा(राजस्थान)

तस्दीक

राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उक्त प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–1 लगायत अंतिम में दर्ज तथ्य मेरी निजी जानकारी मे व मेरे कानूनी सलाहकार की सलाह मे सही एवं सत्य होना स्वीकार करता हूँ।

दिनांक–...../06/2024

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर
तहसीलदार तहसील कार्यालय जहाजपुर
जिला–शाहपुरा(राजस्थान)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जहाजपुर

D.N. 1166
01/07/24

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जहाजपुर

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार रहन पूर्ण खाता स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली

<u>वाद–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 177</u>

<u>शपथ–पत्र</u>

1. मै रवि कुमार मीणा हाल तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि संख्या 1 लगायत अंतिम में दर्ज तथ्य मेरी निजी जानकारी मे सही एवं संत्य है।
2. यह है कि उक्त शपथ–पत्र प्रार्थना–पत्र का ही एक भाग है जिसको वाद पत्र के साथ ही पढा जाये।

अतः शपथ–पत्र पेश है।

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)
जिला–शाहपुरा

<u>तस्दीक</u>

मै रवि कुमार मीणा हाल तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में दर्ज तथ्य मेरी निजी जानकारी मे सही एवं सत्य है।

दिनांक–...../06/2024

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)
तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जहाजपुर

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जहाजपुर

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार रहन पूर्ण खाता स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया शााखा देवली

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

शपथ–पत्र

1. मै रवि कुमार मीणा हाल तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि संख्या 1 लगायत अंतिम में दर्ज तथ्य मेरी निजी जानकारी मे सही एवं संत्य है।
2. यह है कि उक्त शपथ–पत्र प्रार्थना–पत्र का ही एक भाग है जिसको प्रार्थना–पत्र के साथ ही पढा जाये।

अतः शपथ–पत्र पेश है।

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा

तस्दीक

मै रवि कुमार मीणा हाल तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में दर्ज तथ्य मेरी निजी जानकारी मे सही एवं सत्य है।

दिनांक–...../06/2024

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा (राज.)

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा

Scanned with CamScanner

नामे,

श्रीमान तहसीलदार साहब
अंजमपुर जिला - झाबुआ

विषय: निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध बजरी भण्डारण की सूचना देने बाबत् ।

प्रसंग: ग्राम कुराई खुर्द की सर्वे नं. 76/6 रकबा 0.4320 हेक्टेयर पर अवैध बजरी भण्डारण होने से धारा 177 का प्रकरण दर्ज करने बाबत् ।

महोदय जी,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कुराई कला प.ग्रा. कुराई कला की सर्वे नं. 76/6 रकबा 0.4320 हेक्टेयर में से लगभग 0.0216 हेक्टेयर भाग पर अवैध बजरी स्टॉक होने से धारा 177 का प्रकरण दर्ज करने बाबत् मौका पंचनामा श्रीमान की सेवा में पेश है।

[signature]
20.05.2024
पटवारी कुराई कला

प्राप्त
[illegible]
20.05

मौका पर्चा ग्राम लुहारीखुर्द

आज दिनांक 13.05.2024 को ग्राम लुहारीखुर्द में उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार पटवार मण्डल लुहारीखुर्द के राजस्व ग्राम लुहारीखुर्द की आराजी नं. 76/6 रकबा 0.4320 किस्म गैमु मगरी पर हो रहे अवैध बजरी भण्डारण हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर उक्त आराजी पर लगभग 0.0216 हैक्ट. भूमि पर करीबन 16-17 ट्रोली बजरी भण्डारण पाया गया। आराजी नं. 76/6 रकबा 0.4320 हैक्ट. किस्म गैमु. मगरी रामगोपाल पिता रामनाथ मीणा निवासी लुहारीखुर्द दर्ज रिकॉर्ड है।

मौके पर मौका पर्चा बनाया जाकर पढ़कर सुनाया गया व उपस्थितों के हस्ताक्षर निशानी लिये गये।

13.5.2024

प.ह. लुहारीखुर्द

ILR लुहारीखुर्द
13-05-2024

रामलाल

रघुवीर सिंह

पन्नालाल
9602307668

पन्नालाल मीणा
9602307668

प्रहलाद मीणा
7426981813

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

:- लुहारीखुर्द
का :- लुहारीखुर्द
भि.नि.क्षेत्र :- लुहारीकलां
तहसील :- जहाजपुर
जिला :- भीलवाड़ा

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 311
खाता संख्या पुराना :- 276

जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी

काश्तकार का नाम :-

1. रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार
राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देवली,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
76/6	0.4320	गेमु मगरी	0.4320	0.74			
कुल खसरे -1	**0.4320**			**0.7400**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - रामगोपाल पुत्र रामनाथ
प्रतिलिपि सं. - 113482
दिनाँक व समय -14/May/2024 03:17:00 PM

पता - luhari kalan
आई.पी. - 10.70.244.252
नकल जारी करने का स्थान - जहाजपुर

यू.एस.एन - 6905206731101

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=6905206731101

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - MUKAN SINGH SHEKHAWAT
पद - तहसीलदार
हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 27/Aug/2021 06:35:00 PM

NIC

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 14/05/2024 02:51:59 PM

जिला : भीलवाड़ा

तहसील : जहाजपुर

भू. अ. नि. क्षेत्र : लुहारीकलां

पटवारी हल्का : लुहारीखुर्द

ग्राम : लुहारीखुर्द

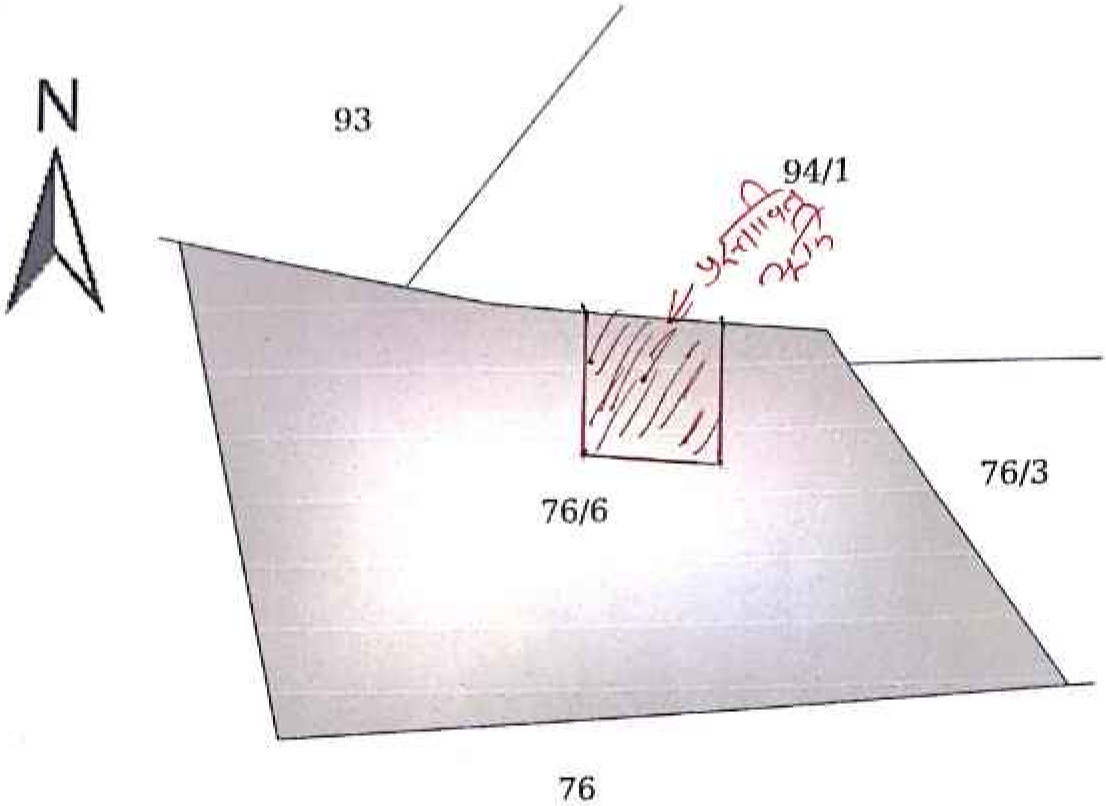

Scale 1:1000

खसरा संख्या :76/6 क्षेत्रफल : 0.4320 Hectare खाता संख्या : 311पुराना खाता संख्या :276

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गेमु.मगरी [0.4320, 0.74]

1.) रामगोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देवली

14.05.2024

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with CamScanner

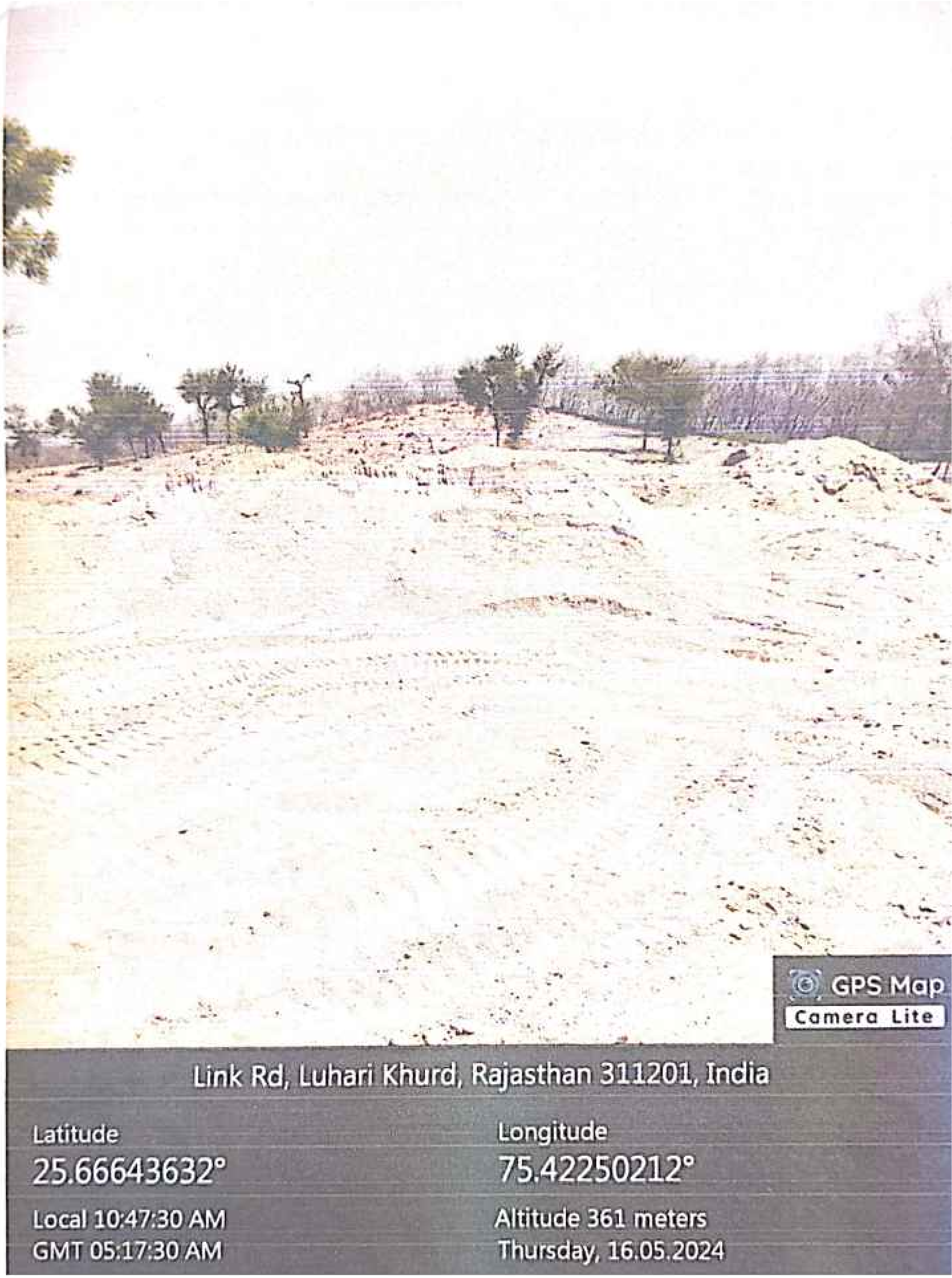

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर–3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय श्रीमान SDO साहब स्थान जहाजपुर
तहसीलदार विरुद्ध रामगोपाल / रामनाथ

वाद / प्रार्थना पत्र 01/2024
प्रार्थना–पत्र संख्या .... सन्

नाम रामगोपाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा
पता लुहारीखुर्द

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
नकल संलग्न है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 07 माह 08 सन् 2024 को 10.00 A.M. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 23 माह 07 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालयं की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर
उपखण्ड न्यायालय
न्यायालय

दिनांक ....

Scanned with CamScanner

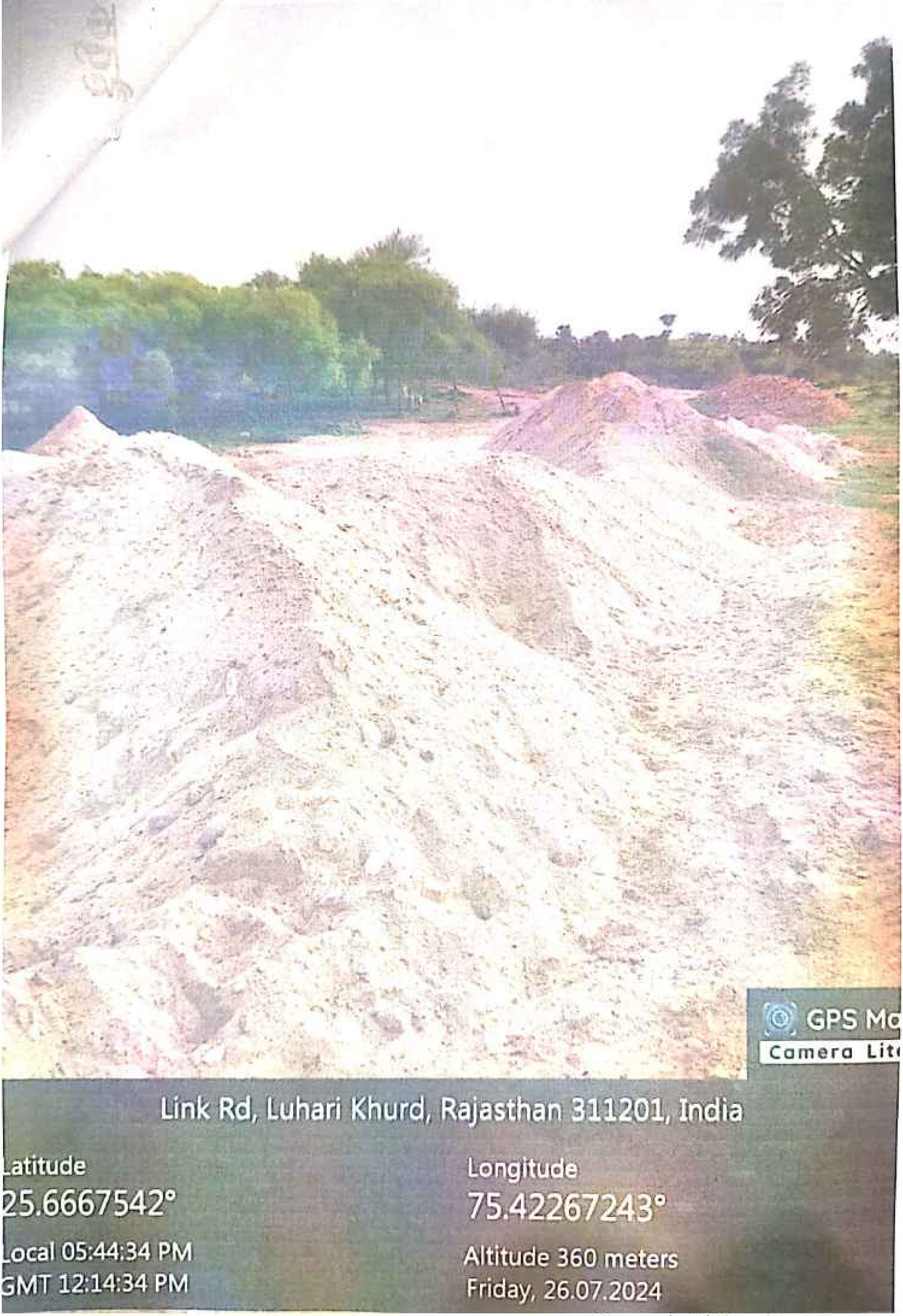

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
जहाजपुर जिला- शाहपुरा

विषय: ग्राम लुहारी खुर्द में बजरी के अवैध स्टॉक की रिपोर्ट पेश करने बाबत

महोदय जी,

[illegible] 29.07

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लुहारी खुर्द की आराजी नं. 76/6 रकबा 0.4320 हेक्टे. कृषि रामगोपाल पिता रामनाथ मीणा निवासी लुहारी खुर्द में दिनांक 13.5. को श्रीमान जिला कलक्टर साहब शाहपुरा उपखण्ड अधिकारी महोदय जहाजपुर माइनिंग विभाग भीलवाड़ा व राजस्व टीम द्वारा पुलिस जाब्ता हनुमाननगर के साथ अवैध बजरी को जब्त किया गया था दुबारा दिनांक 26.07.2024 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जहाजपुर पुलिस जाब्ता हनुमाननगर माइनिंग विभाग भील वन विभाग, राजस्व टीम द्वारा उक्त आराजियात में हो रहे बजरी के अवैध स्टॉक को जब्त किया गया। उक्त आराजियात में बार बार बजरी का अवैध स्टॉक कर बजरी का कारोबार किया जा रहा है

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

(हस्ताक्षर)
29.07.2024
प.ह. लुहारी खुर्द

Scanned with CamScanner

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय श्रीमान SDO साहब स्थान जहाजपुर
तहसीलदार विरुद्ध रामगोपाल / रामनाथ

वाद / प्रार्थना पत्र 01/2024
प्रार्थना–पत्र संख्या .... सन्

नाम रामगोपाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा
पता छुहारीखुर्द

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
संलग्न है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 07 माह 08 सन् 2024 को 10.00 AM पूर्वान्हे में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएग।

यह आज ता. 29 माह 07 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर
उपखण्ड न्यायालय
जहाजपुर (भीलवाड़ा)
न्यायालय

दिनांक ....

Scanned with CamScanner

रामगोपाल
9256641766

सेवा में
[illegible]

मूल प्रति बाद तामील ... S.D.O. ...
...की सेवा में प्रेषित है।
जहाजपुर

तहसीलदार, जहाजपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 01/2024
दायर दिनांक :– 27.07.2024

अनवान

भूमिधारी (तहसीलदार) तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला शाहपुरा
वादी.........

बनाम

रामगोपाल पिता रामनाथ मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर जिला शाहपुरा
प्रतिवादी......

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0 टि0 एक्ट

:: **निर्णय** :: दिनांक 12.08.2024

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 177 रा0 टि0 एक्ट का विरूद्ध प्रतिवादी के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के वर्तमान आराजी नं० 76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर किस्म गे०मु० मंगरी प्रतिवादी खातेदार के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। आ0 नं0 76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर किस्म गे०मु० मंगरी में से 0.0216 है. में बिना किसी संपरिवर्तन के कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तन कर अवैध रुप से बजरी का स्टॉक कर, खुर्द–बुर्द कर रहा है। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो व टीनेंसी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। कृषि भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी ने जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना–पत्र को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तन कर अवैध रुप से बजरी का स्टॉक खसरा नम्बर 76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर मे से 0.0216 हैक्टयर भूमि पर कर, खुर्द–बुर्द कर रहा है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो व टीनेंसी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

किस्म को परिवर्तन की है। अप्रार्थी द्वारा टीनेंसी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना–पत्र से बेदखल किया जाना व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी को शर्त भंग करने के कारण मद सं. 1 में वर्णित खातेदारी भूमि से बेदखल कर सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

वादी का वाद पत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पेरोकार सरकार उपस्थित हो दिनांक 07.08.2024 को बहस हेतु निवेदन किया गया। जिससे प्रकरण में बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी। बहस में पेरोकार सरकार द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 76/6 रकबा 0.4320 हैक्टयर मे से 0.0216 हैक्टयर कृषि भूमि होकर भूमि की किस्म गे. मु. मंगरी दर्ज रेकार्ड है। किन्तु पटवारी हल्का लुहारीखुर्द द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 13.05.2024 अनुसार उक्त आराजी पर खातेदार द्वारा 0.0216 है. भूमि पर बजरी भण्डारण करवाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर कृषि भूमि होकर उक्त कृषि भूमि का अकृषि व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 व सपठित धारा 63 का उल्लघंन है। अतः उक्त कृषि भूमि के खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन एवं प्रकरण तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 ग्राम लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुहारीकलां तहसील जहाजपुर के आराजी नम्बर 76/6 रकबा 0.4320 है0 मे से 0.0216 है. भूमि में प्रतिवादी के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड होकर भूमि की किस्म गे मु. मंगरी दर्ज रेकार्ड है किन्तु पटवारी हल्का लुहारीखुर्द द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 13.05.2024 अनुसार उक्त आराजी पर खातेदार द्वारा बजरी भण्डारण करवाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके फोटोग्राफ भी संलग्न है। इस प्रकार खातेदार प्रतिवादी द्वारा कृषि जोत कि शर्तों व नियमों की अवहेलना की गई है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुहारीकलां तहसील जहाजपुर के आराजी नम्बर 76/6 रकबा 0.4320 है0 किस्म गे.मु. मंगरी में से 0.0216 है. में खातेदार प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त आराजियात को राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश तहसीलदार जहाजपुर को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। डिक्री प्रमाणित प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार जहाजपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (शाहपुरा)
ब ईजलास – श्री सुरेन्द्र बी.पाटीदार, आर.ए.एस

अनवान

भूमिधारी (तहसीलदार) तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला शाहपुरा

वादी..........

बनाम

रामगोपाल पिता रामनाथ मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर जिला शाहपुरा

प्रतिवादी......

दावा बाबत – **177 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 01/2024

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री पेरोकार सरकार का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम लुहारीखुर्द पटवार हल्का लुहारीखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुहारीकलां तहसील जहाजपुर के आराजी नम्बर 76/6 रकबा 0.4320 है0 किस्म गे.मु. मंगरी में से 0.0216 है. में खातेदार प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त आराजियात को राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश तहसीलदार जहाजपुर को दिये जाते है।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner